



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

भारत सरकार

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- df.o.hazaribagwest@rediffmail.com

पत्रांक 421

दिनांक 29/11/2020

सेवा में,

अपर महाप्रबंधक (खनन),
एन०टी०पी०सी० लिमिटेड,
पकरी बरवाडीह कोयला खनन,
परियोजना, पी०बी०सी०एम०पी०,
सिकरी साईट, बड़कागाँव, हजारीबाग

विषय:- **N.T.P.C पकरीबरवाडीह उतरी ब्लॉक कोल माइनींग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 3685 दिनांक 23.12.2019 एवं पत्रांक 105 दिनांक 12.01.2020 तथा अपका पत्रांक 03 दिनांक 25.09.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/38798/2019 दिनांक 25.09.2019 पकरीबरवाडीह उतरी ब्लॉक कोल माइनींग खनन परियोजना N.T.P.C 331.198 हे० वन भूमि का अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा किया गया था। में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग द्वारा प्रस्ताव में दो बिन्दुओं में पृच्छा की गई है, जो निम्नवत हैं :-


1 प्रस्ताव में सन्निहित भूमि विवरणी प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, केरेडारी द्वारा ग्राम बेलतु के खाता संख्या 190 के प्लॉट सं० 84 पी० एवं 62 पी० को जंगल पहाड़ तथा प्लॉट संख्या 58 पी० एवं 87 को जंगल -झाड़ी प्रतिवेदित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम कण्डावेर के खाता संख्या 110 के प्लॉट संख्या 559 के 1.96 एकड़ रकबा को गैर मजरूआ खास प्रतिवेदित किया गया है जबकि आपके द्वारा समर्पित भूमि विवरणी एवं प्रमण्डलीय अभिलेख के अनुसार उक्त प्लॉट अधिसूचित वन भूमि है। जिसका एकरूपता नहीं हो पा रहा है।

2 प्रस्ताव में अंचल अधिकारी, बड़कागाँव द्वारा ग्राम उरुब के खाता संख्या 49 के प्लॉट संख्या 635 पी० 661, 666, 677पी० एवं 689पी० को जंगल भूमि के रूप में प्रतिवेदित किया गया है, जबकि आपके द्वारा समर्पित भूमि विवरणी एवं प्रमण्डलीय अभिलेख के अनुसार अधिसूचित वन भूमि नहीं है। जिसका एकरूपता नहीं हो पा रहा है।

अतः आपके द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियां एवं ऑन लाईन प्रस्ताव वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में संशोधन कराते हुए संशोधित प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु०-यथोक्त - 08 प्रति में प्रस्ताव।

आपका विश्वासी


वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल